

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

नं. .... गा.ता.डी.नं. .... वनाम ..... का.सं. ....

मुकदमा ..... डा.नं. .... मुकदमा नं. .... 12.2 ..... सन् 2017

क्र. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
1017	<p>वकील कादी गण श्री विजय उकाराकर्मा ने हाजिर अदालत ड.डोकर काड-प्ला पेश किया। दावा डी. रजिस्ट्रार किया जावे। प्रतिवादी गण को जजिए वामन तलक किया जाकर पत्रावली दिनांक 2-11-17 को पेश हो।</p> <p>02/17 पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. / अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / कार्य में अस्त। पत्रावली अनुसंधान अनुसार आईन्दा दिनांक 08.01.18 को पेश हो।</p> <p>08/18 पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / कार्य में अस्त। पत्रावली अनुसंधान अनुसार आईन्दा दिनांक 07.02.18 को पेश हो।</p> <p>07/18 पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / कार्य में अस्त। पत्रावली अनुसंधान अनुसार आईन्दा दिनांक 15.05.18 को पेश हो।</p> <p>15/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में रखे जाने योग्य पायी जाने पर कैंप सतु अदल - 04-2018 सेवा केन्द्र कांपुर में पेश है।</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. / अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / कार्य में अस्त। पत्रावली अनुसंधान अनुसार आईन्दा दिनांक 08.01.18 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / कार्य में अस्त। पत्रावली अनुसंधान अनुसार आईन्दा दिनांक 07.02.18 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / कार्य में अस्त। पत्रावली अनुसंधान अनुसार आईन्दा दिनांक 15.05.18 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में रखे जाने योग्य पायी जाने पर कैंप सतु अदल - 04-2018 सेवा केन्द्र कांपुर में पेश है।</p>

01/06/18 यत्नाबली आज राजस्व लोक अदालत अफिमनः  
 न्याय आपने द्वारा-2018 के तहत केम्प स्थल अका  
 लका केले कोर्ट में पेश हूँ। वकील वादी ने  
 हाजिर होकर दावा विश्व हेतु अर्पित पत्र पेश किया,  
 ज.पत्र में अंकित किया कि पक्षकार उल्ला के  
 और आगे नहीं चलाता-चाहते हैं तथा न्यायालय से  
 कोई कार्यवाही नहीं-चाहते हैं। अतः ज.पत्र स्वीकार  
 कर दावा विश्व की अनुमति उदान करें। वकील  
 वादी का ज.पत्र स्वीकार कर दावा विश्व की  
 अनुमति उदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई  
 कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कार्यवाही उल्ला से  
 हली लल पर stop किया जावे। यत्नाबली फेल  
 शुमार होकर नम्बर से कम है तथा काद तकमिस  
 दाखिल दफ्तार है। निर्णय मजसे आम सुनाया गया।

6/16/18